(60)

118

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::

क्रमांक 734 /सीएल-668/03/3/एक,   भोपाल, दि0 24-5-03

प्रति,

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग -1
पंजी क्रमांक 1655 /10-1/
दिनांक 3/6/03

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति - श्री संतोष कुमार पुत्र स्व0 श्री कैलाश चन्द्र वर्मा.

उपरोक्त विषय के संबंध में मा0 मंत्रीजी, सामान्य प्रशासन की टीप के साथ संलग्न पत्र मूलतः संलग्न कर, आदेशानुसार निवेदन है कि इस विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 23.7.2001 के पैरा-2 की कण्डिका (4) में संशोधनानुसार यह निर्णय लिया गयाहै कि "शासकीय सेवक की मृत्यु के सात वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।" जबकि मृतक के पुत्र को वयस्क होने में 7 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई । अतः प्रकरण में पुत्र के वयस्क होने की तिथि को आधार मानकर 7 वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति की पात्रता होगी ।

2/- अतः वयस्क होने के दिनांक से 7 वर्ष की अवधि की गणना की जावे ।

(आर0 एस0 रघुवंशी)
अवर सचिव
म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

~~क्रमांक/स्था/फ3/अराज/~~   भोपाल दिनांक

~~प्रतिलिपि:-~~

~~समस्त वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।~~